

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2/5)योजना/बजट घोषणा/नवीन उपकेन्द्र/2015-16/

दिनांक:-

निदेशक  
पशुपालन विभाग,  
जयपुर।

विषय:- नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ:- बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 87 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1 (1) (1) योजना/बजट घोषणा/2015-16/2106-2111 दिनांक 22.06.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 87 की अनुपालना में 600 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में खोला जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित 6 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को खोले जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	नवीन उपकेन्द्र स्थापना हेतु स्थान
1	बांरा	बांरा-अटरु	खुरी	दिवाली
2	बांरा	बांरा-अटरु	सहरोद	सहरोद
3	बून्दी	हिण्डौली	सीसोला	सीसोला
4	टोंक	टोंक	पालडा	पालडा
5	टोंक	टोंक	छानवाससूर्या	छानवाससूर्या
6	टोंक	टोंक	नगर परिषद् टोंक	वजीरपुर वार्ड नम्बर 3

समसंख्यक आदेश क्रमांक 4038 दिनांक 18.12.2015 के क्रम संख्या 63, 88 पर अंकित कुश्लपुरा विधानसभा क्षेत्र-सीकर, जिला-सीकर, एवं आसलखेडी विधानसभा क्षेत्र-चूरु, जिला-चूरु पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पूर्व में आदेश क्रमांक 3811 दिनांक 08.12.2015 द्वारा स्वीकृत हो जाने के कारण विलोपित किया जाते है।

समसंख्यक आदेश क्रमांक 3811 दिनांक 08.12.2015 के क्रम संख्या 18 पर स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खलीफे की बावडी विधानसभा क्षेत्र-शिव, जिला-बाडमेर एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 4038 दिनांक 18.12.2015 के क्रम संख्या 66 एवं 132 पर अंकित मलारना स्टेशन विधानसभा क्षेत्र-सवाईमाधोपुर जिला-सवाईमाधोपुर तथा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मोरभाटीयान, विधानसभा क्षेत्र-टोंक, जिला-टोंक को निरस्त किया जाते है।

